

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 301]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2025—कार्तिक 8, शक 1947

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2025

क्र. I-574218-2025-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में राजस्व विभाग की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है :—

अनुसूची-एक

(1) राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2025

क्र. I-574214-2025-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधों के अधीन दिव्यांगजन के लिए पदों के चिन्हांकन के लिए समिति, एतद्द्वारा, अनुसूची-एक में सामान्य प्रशासन विभाग (आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल) की स्थापना में, अनुसूची-दो में विहित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पद चिन्हांकित करती है :—

अनुसूची-एक

- (1) सामान्य प्रशासन विभाग (आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल)

